कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)

क्रमांकः– ननिको/राजस्व/2017/1225–42 दिनांकः–4–7–17

भव्य नीलामी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा द्वारा योजना/गैर योजना क्षेत्र में भूखण्डो की खुली नीलामी की जा रही है। बोली में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/ फर्म/संस्था समाचार पत्र में प्रकाशित निर्धारित प्रारूप नगर निगम कोटा की वेबसाईट www.kotamc.org.in एवं राजस्थान स्टेट पब्लिक पोर्टल (RSPPP) से डाउनलोड कर धरोहर राशि व रजिस्ट्रेशन शुल्क का डी.डी. तैयार कर भूखण्ड नीलामी तिथी को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा को ब्लॉक "ए" के प्रथम तल के मिटिंग हॉल में जमा कर टोकन प्राप्त कर सकते है। नीलामी दोपहर 02.00 बजे से प्रारम्भ की जावेगी।

क्र0सं0	नाम स्थान	आवासीय भूखण्ड सं0	भूखण्ड का नाप (मानचित्र अनुसार)	न्यूनतम नीलामी दर (प्रतिवर्गफुट में)	धरोहर राशि	नीलामी तिथि
1	प्रताप नगर (दादाबाड़ी)	754	57.6 X 90 = 5175 वर्गफुट	5,000/–	5,18,000/–	08.08.17
2	दादाबाड़ी विस्तार योजना	356–ए	39.9 X 80 = 3180 वर्गफुट	5,000/–	3,18,000/–	08.08.17
3	महावीर नगर प्रथम	449 – कोर्नर	30 X 49 = 1470 वर्गफुट	5,500/–	1,61,700/–	08.08.17
4	तलवण्डी सेक्टर–सी	सी–240 कोर्नर	37 X 81.8 = 3021.65 वर्गफुट	6,250/–	3,77,750/–	09.08.17
5	महावीर नगर प्रथम	330 – कोर्नर	44 X 65 = 2860 वर्गफुट	5,500/–	3,15,000/–	09.08.17
6	शक्ति नगर दशहरा योजना	144	50 X 110 = 5500 वर्गफुट	5,000/–	5,50,000/–	09.08.17
7	महावीर नगर प्रथम	332	40 X 65 = 2600 वर्गफुट	5,000/–	2,60,000/–	10.08.17
8	तलवण्डी सेक्टर–सी	सी–240–ए	33 + 36.5/2 X 78.4 + 80/2 = 2752.2 वर्गफुट	5,000/–	2,75,100/–	10.08.17
9	महावीर नगर प्रथम	454 – कोर्नर	47 + 52/2 X 47 + 49/2 = 2376 वर्गफुट	5,500/–	2,61,500/–	10.08.17
10	महावीर नगर प्रथम	555	17.6 X 59 = 1032.5 वर्गफुट	5,000/–	1,03,500/–	11.08.17
11	महावीर नगर प्रथम	331	40 X 65 = 2600 वर्गफुट	5,000/–	2,60,000/–	11.08.17
12	प्रताप नगर (दादाबाड़ी)	25–ए	16 + 28.3 / 2 X 89 = 1969.12 वर्गफुट	5,000/–	1,97,000/–	11.08.17

नोटः– आवासीय भूखण्ड पर निर्माण भवन निर्माण उपविधि 2013 के अनुसार सेट बेक व अन्य मापदण्ड एवं वर्तमान में नवीनतम प्रचलित नियमो के अनुसार मान्य होगा।

नीलामी की मुख्य शर्ते :–

1. भूखण्ड/भवन 99 वर्षीय लीज पद्वति अनुसार नीलाम किये जायेगें। जिसकी प्रतिवर्ष/एक मुश्त लीज राशि जमा कराई जा सकती है।

2. नीलामी बोली में बोलीदाता स्वंय उपस्थित होगा। प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोली में भाग लेने हेतु निर्धारित नीलामी प्रपत्र के साथ बोलीदाता का परिचय पत्र, फोटो, पेन कार्ड स्वंय के हस्ताक्षर से प्रमाणित कर नीलामी हॉल में जमा कराना होगा।
3. बोलीदाता को प्रत्येक भूखण्ड की नीलामी हेतु अलग–अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिस भूखण्ड की नीलामी हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया जायेगा, बोलीदाता उसी भूखण्ड की नीलामी में भाग ले सकेगा। बोलीदाता नीलामी हॉल (राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक ''ए'' के प्रथम तल के हॉल) में दोपहर 01.45 बजे तक आवश्यक रूप से उपस्थित होवें। नीलामी दोपहर 02.00 बजे नीलामी प्रारम्भ कर दी जावेगी।
4. रजिस्ट्रेशन राशि 500/– वापस देय नही होगी, ना ही 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी।
5. नीलामी के उपरांत बोलीदाता का नाम परिवर्तन किसी भी सूरत में नही होगा।
6. रजिस्ट्रेशन राशि 500/– एवं धरोहर राशि के डी.डी./पे आर्डर **आयुक्त नगर निगम कोटा के पक्ष में** देय होगा।
7. पूर्व की बोली में असफल निविदादाता पिछले दिवस की धरोहर राशि का डी.डी./पे आर्डर के द्वारा आगामी दिवस की नीलामी में भाग ले सकेगें। परन्तु वह जिस बोली में भाग ले रहा है डी.डी./पे आर्डर निर्धारित राशि या अधिक राशि के ही मान्य होगें। कम राशि के डी.डी./पे आर्डर स्वीकार नही किये जावेगें। नियत तिथि की नीलामी के डी.डी./पे आर्डर प्रत्येक भूखण्ड के लिये अलग–अलग लिये जावेगें।
8. किसी संस्था/कम्पनी/फर्म की ओर से बोली लगाने वाला अधिकृत होने का अधिकृत पत्र पेश करेगा, जो नोटेरी द्वारा सत्यापित होगा। कम्पनी फर्म के विधान की सत्यापित प्रति पेश करनी होगी।
9. कम्पनी संस्था द्वारा नीलामी में भाग लेने पर दूसरा व्यक्ति पदाधिकारी/कार्मिक ही होगा। दो से अधिक व्यक्ति नीलामी बोली में भाग लेने के लिये मान्य नही होगें।
10. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता एवं सहयोगी को नीलामी स्थल पर अपने मोबाईल का उपयोग नही करेगें।
11. प्रथम बोली न्यूनतम दर से अधिक होगी। बोली छोड़ने अथवा नही छोड़ने का अधिकार मौके की नीलामी समिति को होगा।
12. नीलाम किये जाने वाले आवासीय भूखण्डो व बोलीदाताओं द्वारा लगाये जाने वाली प्रत्येक बोली आवासीय भूखण्ड की रू0 10/– प्रतिवर्गफिट में बड़ी होने पर ही मान्य होगी।
13. एकल बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
14. बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार महापौर नगर निगम कोटा को होगा।
15. बोली समाप्त होने पर कुल राशि का 25 प्रतिशत भाग मौके पर जमा कराना होगा। शेष 3/4 राशि महापौर महोदय की स्वीकृति के पश्चात् निर्धारित अवधि में जमा कराना होगा।
16. मौके पर सम्पत्ति जहां है, जैसी है के आधार पर साईज के अनुसार ही नीलाम की जायेगी, जो भौतिक कब्जे के समय साईज से कम/ज्यादा हो सकती है। अधिक साईज होने पर अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी तथा कम साईज होने पर राशि लौटा दी जावेगी।
17. निर्धारित अवधि में वांछित राशि 3/4 जमा नही कराने की अवस्था में आगामी 30 दिवस में पन्द्रह प्रतिशत ब्याज पर नीलामी तिथि से जमा कराये जा सकेगे। तत्पश्चात् भी जमा न कराने की स्थिति में 1/4 राशि जब्त कर भूखण्ड निरस्त कर पुनः नीलाम किया जायेगा।
18. उच्चतम बोलीदाता के द्वारा समस्त रकम जमा कराते समय धरोहर राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
19. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/नगर निगम कोटा द्वारा कोई कर/शर्त लगाई जाती है तो क्रेता को मान्य होगी।
20. भूखण्ड की रजिस्ट्री का खर्चा एवं भूखण्ड की आय पर देय आयकर क्रेता द्वारा ही देय होगा।
21. अन्य शर्ते व जानकारी कार्यालय के कार्य दिवस में उपरोक्त अंकित स्थान पर देखी जा सकती है।
22. अन्य शेष शर्ते भूमि निष्पादन नियम 1974 के अध्याधीन मान्य होगी।
23. किसी भी विवाद के मामले में न्याय क्षेत्र कोटा रहेगा।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम कोटा

क्रमांकः— ननिको / राजस्व / 2017 / 1225 - 42 दिनांकः— 4-7-17

प्रतिलिपि :—

1. महापौर महोदय, नगर निगम कोटा।
2. उपमहापौर महोदया, नगर निगम कोटा।
3. नेता प्रतिषक्ष महोदय, नगर निगम कोटा।
4. अध्यक्ष महोदय, राजस्व कर वसूली समिति, नगर निगम कोटा।
5. आयुक्त महोदय, नगर निगम कोटा।
6. उपायुक्त मुख्यालय / विज्ञान नगर / रामपुरा जोन, नगर निगम कोटा।
7. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन कोटा।
9. संयुक्त विधि परामर्शी, नगर निगम कोटा।
10. अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम कोटा।
11. उपनगर नियोजक, नगर निगम कोटा।
12. विधि अधिकारी, नगर निगम कोटा।
13. राजस्व अधिकारी, नगर निगम कोटा।
14. कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम कोटा।
15. पुस्तकालयाध्यक्ष नगर निगम कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त भव्य नीलामी एक राष्ट्रीय एवं दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध करावें।
16. ओसवाल डाटा प्रोसेस, नगर निगम कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त भव्य नीलामी नगर निगम कोटा की वेबसाईट पर डालें।
17. प्रभारी ईगर्वेनेन्स नगर निगम कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त भव्य नीलामी राजस्थान स्टेट पब्लिक पोर्टल (RSPPP) पर डालें।
18. गार्ड फाईल।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम कोटा